भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1081
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक

1081. **श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ख): "भारत में उत्पादों का विनिर्माण" एक पहल है, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर, 2014 से पूरे भारत में किया गया है जिसने निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने में, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में, भारत को विनिर्माण, रचना (रूप-रेखा), नवाचार के क्षेत्र में एक केन्द्र बनाने का काम किया है। यह एक अद्भुत लॉकल के लिए वॉकल कदम है जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व के समक्ष प्रोत्साहित करता है। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 2.0, 27 क्षेत्रों पर ध्यान देता है जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों पर लागू है। इसके अतिरिक्त, लाभान्वित लोगों की संख्या, किए गए कार्य एवं प्रयास केंद्रीय स्तर पर अनुरक्षित नहीं हैं।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एस.आई.एम.) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीता मंत्रालय (एमएसडीई), कौशल, पुनः कौशल तथा उच्च कौशल के प्रशिक्षण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान करता है, जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), और शिल्पकार या दस्तकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को समावेशित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों, 2019-20 से 2022-23 के दौरान, उक्त कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सहित, अभ्यार्थियों की कुल संख्या 1.60 करोड़ है।

*****